सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (East), Mumbai –400 096
टेलि. / Tele. : 022-28294725 फैक्स / Fax : 28291385,
ईमेल- / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट /Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/NOMI/518/2016-17/01861 **Dated: 14.02.2024**

परिपत्र सं 14/ 2024

Circular no. 14 /2024

विषय: सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

SUB: Regarding the Invitation of application for nomination as member as SEEPZ-SEZ Authority.

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण सीप्ज़-सेज़ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए शासी निकाय है। प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 4 पदेन स्थायी सदस्य और व्यापार से 2 नामांकित सदस्य शामिल हैं। व्यापार से वर्तमान नामांकित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 10.05.2024 को समाप्त हो रहा है। इसलिए, सीप्ज़-सेज़ में व्यापार से दो सदस्यों के नए नामांकन के साथ प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जा रहा है।

SEEPZ-SEZ Authority is the governing body for development and maintenance of infrastructure in SEEPZ, Special Economic Zone. The Authority comprises of 4 ex-officio permanent members including chairperson and 2 nominated member from Trade. The tenure of the existing nominated members from Trade likely to expire by 10.05.2024. Therefore, the Authority is being reconstituted with fresh nomination of two members from the Trade in SEEPZ-SEZ.

यदि यूनिट धारक नामांकन के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं, तो उन्हें अपनी इच्छा 31.03.2024 को या उससे पहले भेजनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि नामित सदस्य को नियमित आधार पर प्राधिकरण की बैठक में भाग लेना होगा। बैठकों की सूचना पहले ही भेज दी जाएगी।

In case, the unit holder are willing to be considered for nomination, they should send their willingness on or before 31.03.2024. It may kindly be noted that the nominated member would be required to attend the meeting of the Authority on regular basis; a notice of the meetings will be send in advance.

केवल प्रबंध निदेशक/निदेशक (कंपनी के बोर्ड में)/प्रबंध भागीदार और यूनिट के मालिक, जो दिनांक 10.09.2014 के निर्देश संख्या 82 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार मापदंडों/मानदंडों को पूरा करते हैं, नामांकित होने के पात्र होंगे। नामांकन के प्रत्यायोजन की अनुमति नहीं है। मनोनीत सदस्य को निम्नलिखित कारण उपस्थित होने पर सदस्यता रिक्त कर दी गई मानी जाएगी:-

1. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण से इस्तीफा देने पर।
2. सदस्य की मृत्यु होने पर।
3. सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व वाले यूनिट से संबंधित सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को देय राशि के भुगतान में चूक होने पर।
4. सदस्य द्वारा प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों की कार्यवाही में भाग लेने से स्वयं अनुपस्थित रहने पर।
5. यदि ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले यूनिट के खिलाफ राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी समय लागू कानून के उल्लंघन के लिए कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई हो।
6. ऐसे सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व वाले यूनिट बीमार है, बंद है या लगातार 6 महीने से अधिक समय से निर्यात नहीं कर रही हो।
7. किसी सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व वाले यूनिट को जारी किया गया अनुमोदन पत्र धोखाधड़ी, गलत बयानी आदि के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो।

Only Managing Director /Director (on board of the company) (/Managing partner and proprietor of the unit fulfilling the parameters /criteria as per instruction no. 82 dt. 10.09.2014 (copy enclosed) would be eligible to be nominated, Delegation of the nomination is not permitted The nominated member shall be deemed to have vacated the membership on occurrence of the following :-

1. Resignation from the SEEP-SEZ Authority
2. Death of the member
3. Unit represented by the member defaults is payment of dues to SEZ Authority concerned.
4. Member absent himself / herself in attending the proceedings of Authority of three consecutive meetings
5. If any criminal proceedings in initiated against the unit represented by such member either by State or Central Govt. for violation of any law for time being in force.
6. Unit represented by such member is sick ,closed or has not been exporting for more than 6 consecutive months and
7. Letter of Approval issued to the unit represented by member is cancelled by Competent Authority for reason of fraud, misrepresentation etc.

यूनिट धारकों को सूचित किया जाता है कि इच्छा और विवरण दिनांक 31.03.2024 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक संलग्न) में प्रस्तुत किए जाएं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन/इच्छा पर नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

Unit holder are hereby informed that the willingness and details may be submitted in the prescribed format (Annexure enclosed) on or before 31.03.2024. Any application/ willingness received beyond the prescribed time limit will not be considered for nomination.

यह अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issue with the approval of Chairman, SEEPZ -SEZ Authority.

14/03/2024

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)
उप विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

अनुलग्नक: यथोपरि

प्रति,

1. अध्यक्ष, एसजीजेएमए
2. अध्यक्ष, सीमा
3. सीप्ज़ सेज़ की वेबसाइट
4. नोटिस बोर्ड, सीप्ज़

क्रमांक **Sr. no.**	विवरण **Description**	टिप्पणी **Remarks**
1.	इकाई का नाम Name of the Unit	
2.	सदस्य के रूप में नामित किए जाने वाले सीईओ/एमडी का नाम Name of the CEO/MD to be nominated as a Member	
3.	इकाई का क्षेत्र Sector of the Unit	
4.	इकाई की स्थापना की तिथि और इकाई के एलओए की वैधता की तिथि Date of Establishment of the unit and date of validity of the LOA of the Unit	
5.	पिछले 3 वर्षों में किया गया कुल निवेश Total Investment made in the last 3 years	
6.	पिछले 3 वर्षों में किया गया कुल निर्यात Total export made in the last 3 years	
7.	इकाई द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित Direct employment generated by unit	
8.	क्या इकाई के खिलाफ एफटीडीआर या एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत कोई मामला लंबित है Is there any pending case against the unit under FTDR or SEZ Act 2005	
9.	अतिरिक्त. जानकारी यदि कोई हो Addl. Information if any	